Han Andra The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3 —Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 246] नई दिल्ली, सोमव

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 1998/बैत्र 30, 1920 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1998/CHAITRA 30, 1920

No. 2461

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1998

का०आ० 334 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा तटीय आयामों को तटीय विनियमन इलाकों के रूप में घोषित किया था और उक्त इलाकों में उद्योग, संक्रियाएं और प्रक्रियाएं स्थापित करने और उनके विस्तार पर प्रतिबन्ध अधिरोपित किए थे;

और अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में केन्द्रीय सरकार का ध्यान स्थानीय जनता द्वारा अनुभव की जा रही उन किवाइयों की और आकृष्ट किया था जो उक्त क्षेत्र में तटीय विनियमन इलाके में बालू के खनन पर प्रतिषेध के कारण उठानी पड़ रही हैं;

और इन विषयों की परीक्षा भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई है:

और केन्द्रीय सरकार की यह राय **है कि** उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाए ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4)यह उपबंध करता है कि उपनियम (3) में अंतर्षिष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जब भी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा करना लोकहित में है, वह उपनियम (3) के खंड (क) आधीन सूचना की अमेक्षा का त्याग कर सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के आधीन सूचना की अपेक्षा का त्याग किया जाना लोकहित में हैं:

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावस्ण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वीक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

2. उक्त अधिसूचना में—

(क) पैरा 2 में उप पैरा (ix) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातुः—

"परन्तु यह कि अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में कमेटी द्वारा बालू का खनन अनुज्ञात किया जा सकता है। कमेटी, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के उप-राज्यपाल द्वारा गठित की जाएगी और इसमें मुख्य सचिव; सचिव, पर्यावरण विभाग; सचिव, जल संसाधन विभाग और सचिव, लोक निर्माण विभाग होगें। कमेटी अनिम्नीकृत क्षेत्रों से चयनित स्थलों से सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए विनियमित रीति से प्रत्येक मामले के आधार पर 30 सितम्बर, 1998 तक की अवधि के लिए बालू का खनन अनुज्ञात कर सकती है खनन किए गए बालू की मात्रा, निर्माण कार्यों के पूरे किए जाने की अनिवार्य अपेक्षा से अधिक नहीं होगी, जिसमें 1998-99 वार्षिक योजना की अर्धवार्षिक आवश्यकता की बाबत निवास एकक और दुकानें भी हैं। बालू के खनन की अनुज्ञा ऐसे स्थलों से खनन योजना के आधार पर और ऐसी मात्रा में दो जाएगी जिसका पर्यावरण पर प्रतिकृल प्रभाव न पडे।"; (ख) उपबंध I में, शीर्ष सी आर जेड-IV अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में, मद (iv)(ख) में, ''31 मार्च, 1998'' शब्द और अंकों के स्थान पर ''30 सितम्बर, 1998'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं**ंजैह-12011/2/96-आईए-III**]

आर॰एच॰ ख्वाजा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: — म्रुल अधिसूनोः भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (¡¡)में सं०का०आ० 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

- (i) सं॰ का॰आ॰ 595 (अ), दिनांक, 18 अगस्त, 1994
- (ii) सं० का०आ० 73 (अ), दिनांक, 31 जनवरी, 1997
- (iii) सं का अा 494 (अ), दिनांक, 9 जुलाई, 1997

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1998

S.O. 334 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 114 (E) dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification) Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zones and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zones;

And whereas, the Union Territory of the Andaman and Nocobar Islands Administration had drawn attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local people due to restrictions on prohibition of mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory;

And whereas, the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended;

And whereas sub-rule 4 of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, "Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3);

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) sub-rule (3) of rule 5 for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of the section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the aforesaid notification:—

2. In the said notification—

(a) in paragraph 2, in sub-paragraph (ix), the following proviso shall be substituted at the end, namely:—

"Provided that in the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands, mining of sand may be permitted by the Committee which shall be constituted by the Lieutenant Governor of the Andaman and Nocobar Islands consisting of Chief Secretary; Secretary, Department of Environment; Secretary, Department of Water Resources; and Secretary, Public Works Department, Committee may permit mining of sand from non-degraded areas for construction purposes from selected sites, in a regulated manner on a case to case basis, for a period up to the 30th day of September, 1998. The quantity of the sand mined shall not exceed the essential requirements for completion of construction works including dwelling units, shops in respect of half yearly requirement of 1998-99 annual plan. The permission of mining of sand may be given on the basis of the mining plan for such sites in such quantity which shall not have adverse impacts on the environment.";

(b) in annexure I, in heading CRZ-IV Andaman and Nicobar Islands in item (iv) (b), for the words and figures "31st day of March, 1998", the words and figures "30th day of September, 1998" shall be substituted.

[No. Z-12011/2/96-IA-III]

R. H. KHWAJA, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal notification was published vide S.O. No. 114 (E) dated 19th February, 1991 in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary and subsequently amended vide:—

- (i) S.O. No. 595 (E) dated 18th August, 1994.
- (ii) S.O. No. 73 (E) dated 31st January, 1997.
- (iii) S.O. No. 494 (E) dated 9th July, 1997.